न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 53/2025 (अपील)
जी.सी.एम.एस न.– 2025/126

उनवान

ग्यारस्या पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. सरकार पेरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 20.3.2023
न्यायालय ना0तहसीलदार, सुल्तानपुर जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 8/10/25

1– अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एंव संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

.2– अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3– अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक **20.3.2023** में अपीलाण्ट को समुचित सूचना एवं नोटिस प्रदान किये बिना ही ग्राम **टाकरवाडा** तहसील **दीगोद** में स्थित आराजी ख0न0 **322** रकबा 0.**24** हैक्टर **बंजड** भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर वार्षिक लगान 6.48 का 30 गुना 194/– रूपये जुर्माना एवं 30 दिवस का सिविल कारावास की सजा से दण्डित

अति. जिला कलक्टर
कोटा

कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही अपीलाण्ट को कोई नोटिस ही प्राप्त हुआ है, किंन्तु फिर भी विधिक प्रावधानो के विरूद्ध नोटिस की तामील होना मानकर अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मान लिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलाण्ट ने तावान राशि जमा करवा दी है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4— रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा **बंजड** की भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे बेदखल किया गया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

5— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश **20.3.2023** .में अपीलाण्ट को समुचित सूचना एवं नोटिस प्रदान किये बिना ही ग्राम **टाकरवाडा** तहसील **दीगोद** में स्थित आराजी ख0न0 **322** रकबा 0.24 हैक्टर किस्म **बंजड** भूमि पर अतिक्रमी होना मानकर 194/— रूपये जुर्माना एवं 30 दिवस का सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही अपीलाण्ट को कोई नोटिस ही प्राप्त हुआ है, किन्तु फिर भी विधिक प्रावधानो के विरूद्ध नोटिस की तामील होना मानकर अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मान लिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलाण्ट ने तावान राशि जमा करवा दी है तथा भविष्य में उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा। रेस्पोडेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन रहा है कि "अपीलाण्ट द्वारा **बंजड** भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

6— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी को वाके ग्राम **टाकरवाडा तहसील दीगोद** स्थित आराजी खसरा **नम्बर 322 रकबा 0.24** हैक्टयर किस्म **बजंड भूमि** पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिऐ इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर अपीलाण्ट अप्रार्थी स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मोके से कब्जा हटा लिया

अति. जिला कलक्टर
कोटा

गया है, एंव भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने की पुष्टि सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से करावें। अपीलाण्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिक्रमित आराजी पर से मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर ही निर्णय जैर अपील से अपीलाण्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

8– निर्णय आज दिनांक ....8/10/25........... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा
अति. जिला कलक्टर
कोटा